न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 211/2024
अन्तार्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

नरसिंग बनाम सवाईसिंह व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री जालमसिंह राजपुरोहित (उपस्थित)
विप्रार्थीगण वकील – श्री प्रेम सोलंकी (विप्रार्थी सं. 1,4,6,7 अनुपस्थित)

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 04.02.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा आकोडा में खसरा सं. 382/148 रकबा 05.6170 हैक्टयर पटवार क्षेत्र आकोड़ा तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1,4,6,7 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सोलंकी द्वरा वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु पर्याप्त अवसर बावजूद जवाब पेश नही करने से इनका जवाब बंद किया गया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा आकोड़ा में खसरा सं. 382/148 रकबा 05.6170 हैक्टयर पटवार क्षेत्र आकोड़ा तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षो के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी चौहटन (seal)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.10 19:32:43 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन